न्यायालय : अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।

पीठासीन अधिकारी	:	**सुनिल कच्छावाह, आर.जे.एस.**
मूल आपराधिक प्रकरण सं.	:	**20/2026**
सी.आई.एस नम्बर	:	**798/2015**
सी.एन.आर. नम्बर	:	**RJRS070013862015**

राजस्थान राज्य

:: बनाम ::

01. **देवा** पिता भग्गाजी, उम्र 75 वर्ष, निवासी जोगेला राबचा, पीएस नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।
02. **सुडा** पिता नारूजी, उम्र 65 वर्ष, निवासी मजेरा, थाना देलवाड़ा, जिला राजसमन्द।
03. **श्रीमती तुलसी** पत्नी विरमा, उम्र 45 वर्ष, निवासी कालीवास हाल दाड़मी थाना देलवाड़ा, जिला राजसमन्द।
04. **श्रीमती हीरकी** पत्नी जगन्नाथ, उम्र 65 वर्ष, निवासी सिंधु, थाना घासा, जिला राजसमन्द।
05. **श्रीमती मोहनी** पत्नी सुडा, उम्र 60 वर्ष, निवासी मजेरा, थाना देलवाड़ा जिला राजसमन्द।
06. **श्रीमती मानकी** पत्नी देवा, उम्र 58 वर्ष, निवासी राबचा जोगेला, थाना नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।

अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 120—बी

भारतीय दण्ड संहिता, 1860

उपस्थिति :

01. **श्री कमलेश शर्मा, विद्वान् सहायक अभियोजन अधिकारी,** राज्य की ओर से।
02. **श्री पंकज गुर्जर**, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त संख्या 01 व 03 से 06 की ओर से।
03. **श्री गजेन्द्र टांक** विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त संख्या 02 की ओर से।

|| निर्णय ||

दिनाँक : 27.03.2026

01. प्रकरण के संक्षिप्त में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि दिनाँक 04.05.2015 को प्रार्थी धूलीराम द्वारा न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा के समक्ष परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी गांव गुमानपुरा ऋषभदेव का रहने वाला है और उदयपुर में प्राईवेट नौकरी करता हैं, प्रार्थी की जान पहचान राजु, देवा व गटुसिंह से हुई और इनसे बातों बातों में जमीन खरीदने का जिक्र हुआ जिस पर उसने राजस्व गाम झाड़ सादड़ी, पटवार हल्का, सीसवी जिला राजसमन्द की आराजी नंबर 169 से 191 व 131/129 में से अभियुक्तगण 01 से 04 अपने हिस्से की कृषि भूमि विक्रय करने को तैयार है, जिस पर राजु के द्वारा देवा को बुलाया व देवा के साथ प्रार्थी व राजु साल्वी एवं गटुसिंह के साथ अभियुक्तगण के गांव झाल सादड़ी में स्थित कृषि भूमि का मौका देखा व उनको विक्रय करने हेतु नाथद्वारा बुलाया गया। प्रार्थी को दिनाँक 26.06.2012 को उक्त जमीन बाबत् लिखा पढ़ी करने के लिये सभी अभियुक्तगण को नाथद्वारा बुलाया गया तथा एक विक्रय इकरार अभियुक्तगण के अनुसार लिखापढ़ी की गई। उक्त विक्रय इकरार में भूमि का कुल विक्रय मूल्य 3,00,000/— रूपये तय कर उसमें से 1,30,000/— हजार रूपये का भुगतान देवा के हाथो में प्रार्थी ने तहसील नाथद्वारा में नकद किया तथा बकाया राशि 1,70,000/— रुपये वक्त रजिस्ट्री देना तय किया। उसके बाद कई बार अभियुक्तगणों व देवा को रजिस्ट्री कराने के लिये कहा गया तो कभी किसी खातेदार के व्यस्त व कभी किसी की मौत होने का बहाना बनाते रहे। दिनाँक 20.12.2012 को प्रार्थी द्वारा दबाव दिये जाने पर पुनः आश्वासन दिया गया। प्रार्थी के पास दिनाँक 20.12.2013 गुजरने के बाद भी फोन नहीं आया तो प्रार्थी फिर से नाथद्वारा गया, जिस पर देवा व सुडा ने रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया

और कहा कि उसे जो करना है वो कर ले, जमीन की कोई भी रजिस्ट्री नहीं कराई जावेगी न उसे उसका दिया गया पैसा वापस दिया जायेगा। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी के संबंध में जानकारी की गई तो पता चला कि अभियुक्तगण द्वारा 02 माह पूर्व दिनाँक 08.10.2012 को किसी अन्य के नाम विक्रय पत्र निष्पादित करा दिया। उक्त विक्रय पत्र में अभियुक्त संख्या 05 व 06 द्वारा गवाही दी गयी। अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी की गयी। इत्यादि।

02. परिवाद को उक्त न्यायालय द्वारा दिनाँक 05.05.2015 को धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् पुलिस थाना नाथद्वारा को प्रेषित किया गया। जिस पर पुलिस थाना नाथद्वारा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 184/2015, अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 120—बी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। प्रकरण में दिनाँक 06.08.2015 को थानाधिकारी नाथद्वारा की ओर से जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण **देवा, सूडा, श्रीमती तुलसी, श्रीमती हीरकी, मोहनी व मानकी** के विरूद्ध आरोप पत्र अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 120—बी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के तहत न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा, में प्रस्तुत किया गया। जिस पर बाद कार्यालय जाँच एवं अवलोकन कर अभियुक्तगण **देवा, सूडा, श्रीमती तुलसी, श्रीमती हीरकी, मोहनी व मानकी** के विरुद्ध उक्त न्यायालय द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 120—बी में प्रसंज्ञान लिया गया तथा प्रकरण को दाण्डिक मूल रजिस्टर में दर्ज किया गया।

03. उक्त न्यायालय द्वारा बहस आरोप सुनी जाकर दिनाँक 04.03.2017 को अभियुक्तगण देवा, सूडा, श्रीमती तुलसी, मोहनी व मानकी को एवं दिनाँक 18.07.2017 को अभियुक्त श्रीमती हीरकी को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 420, 406 व 120 बी भारतीय दण्ड संहिता आरोप विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण द्वारा आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही गयी।

04. कालांतर में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, राजसमन्द के आदेश क्रमांक 18 दिनाँक 15.01.2026 की अनुपालना में पत्रावली अंतरित होकर इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुई, जिसका बाद विचारण एतद्द्वारा निस्तारण किया जा रहा हैं।

05. अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य अभियोजन में अग्रलिखित सूचीबद्ध मौखिक साक्ष्य में गवाहों को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेज के रूप में न्यायालय के समक्ष दस्तावेजात प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये।

मौखिक साक्ष्य

क्र.स.	साक्षी क्रमांक	साक्षी का नाम	संबंधित विवरण
1.	P.W. 1	ओमप्रकाश	घटना की ताईद
2.	P.W. 2	देवलीबाई	घटना की ताईद
3.	P.W. 3	सायरीबाई	घटना की ताईद
4.	P.W. 4	अजय	स्टाम्प जारी करना
5.	P.W. 5	राजू	घटना की ताईद
6.	P.W. 6	गट्टूसिंह	घटना की ताईद
7.	P.W. 7	दिनेश	घटना की ताईद
8.	P.W. 8	रामसिंह	अनुसंधान अधिकारी
9.	P.W. 9	धुलीराम	परिवादी

दस्तावेजी साक्ष्य

क्र.स.	दस्तावेज क्रमांक	दस्तावेज का नाम	संबंधित गवाह
1.	प्रदर्शपी–01	पुलिस बयान ओमप्रकाश	ओमप्रकाश पी.ड. 01
2.	प्रदर्शपी–02	विक्रय पत्र की प्रति	देवलीबाई पी.ड. 02, सायरीबाई पी.ड. 03, धूलीराम पी.ड. 09
3.	प्रदर्शपी–03	पुलिस बयान देवलीबाई	देवलीबाई पी.ड. 02
4.	प्रदर्शपी–04	पुलिस बयान सायरीबाई	सायरीबाई पी.ड. 03
5.	प्रदर्शपी–05	स्टाम्प विक्रय इकरार विलेख	अजय पी.ड. 04, धूलीराम पी.ड. 09
6.	प्रदर्शपी–05	पुलिस बयान राजू	राजू पी.ड. 05
7.	प्रदर्शपी–06	पुलिस बयान गट्टूसिंह	गट्टूसिहं पी.ड. 06
8.	प्रदर्शपी–07	परिवाद	रामसिंह पी.ड. 08, धूलीराम पी.ड. 09
9.	प्रदर्शपी–08	चाक एफआईआर	रामसिंह पी.ड. 08, धूलीराम पी.ड. 09
10.	प्रदर्शपी–09	तहसीलदार को दी गयी तहरीर	रामसिंह पी.ड. 08,

11.	प्रदर्शपी—10 व 11	जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियां	रामसिंह पी.ड. 08,
12.	प्रदर्शपी—12	जमाबंदी की नकल	रामसिंह पी.ड. 08,
13.	प्रदर्शपी 13 से 18	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्तगण	रामसिंह पी.ड. 08,

06. प्रकरण में साक्ष्य अभियोजन के दौरान् सहवन से स्टाम्प विक्रय इकरार विलेख व पुलिस बयान राजू पर सांख्यिकी दृष्टि से एक ही प्रदर्श पी 05 अंकित कर दिया गया। न्यायालय द्वारा साक्ष्य के विवेचन के दौरान् उक्त दस्तोवजो की विशिष्टियों के साथ उल्लेख किया जायेगा। साक्ष्य अभियोजन के दौरान् अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा गवाह संख्या 07 जितेन्द्र कुमार व गवाह संख्या 08 श्रीमती सुमन से संबधित दस्तावेज प्रदर्श पी 02, 10 व 11 स्वीकार किया जाने से उक्त दोनों गवाहान् की तलबी बंद की गयी।

07. अभियोजन साक्ष्य के पश्चात् अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किया गया। अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए कथन किये कि वो निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना चाहा गया, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा का अवसर बंद किया गया।

08. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गयी। बहस के दौरान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण द्वारा षड़यन्त्र पूर्वक ग्राम झालसादड़ी तहसील नाथद्वारा में स्थित आराजी संख्या 169 से 191 व 131/129 का हिस्सा परिवादी को कुल 3,00,000/— रूपये में विक्रय करना तय किया गया, जिसमें से 1,30,000/— रुपये नगद अदा कर दिये एवं शेष राशि 1,70,000/— रुपये रजिस्ट्री के समय देना तय हुई। परिवादी द्वारा बार बार आग्रह किये जाने के बाद भी अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के पक्ष में रजिस्ट्री नहीं करवायी गयी एवं परिवादी को विक्रय की गयी भूमि का अन्यत्र व्यक्तियों के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित करवा दिया। अभियुक्तगण द्वारा परिवादी से प्राप्त की गयी राशि भी नहीं लौटायी गयी। अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के साथ धोखाधड़ी की गयी। अभियोजन की ओर से परीक्षित सभी गवाहान् द्वारा अभियोजन का पूर्ण समर्थन किया गया हैं। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से

अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित है। इसके साथ ही अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया।

09. इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा बहस के दौरान तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान् के बयानों से अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं होती है। अभियोजन गवाहान् के बयानों में भारी विरोधाभास हैं। प्रकरण में मूल रूप से परिवादी धूलीराम ने कोई संव्यवहार अभियुक्तगण के साथ नहीं किया गया, समस्त संव्यवहार गवाह दिनेश द्वारा किया गया था एवं उसके द्वारा ही परिवादी के नाम से विक्रय इकरार निष्पादित करवाया गया। परिवादी की ओर से सिविल विवाद को निपटाने के लिये प्रकरण को आपराधिक रंग दिया गया हैं। स्वंय परिवादी धूलीराम पी.ड. 09 द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया। अभियुक्तगण को प्रकरण में गलत रूप से फंसाया गया है। साक्ष्य अभियोजन के दौरान् मुख्य गवाह राजू पी.ड. 05 व गट्टूसिंह पी.ड. 06 द्वारा कथन किया गया कि परिवादी रजिस्ट्री करवाने में आनाकानी कर रहा था। अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित नहीं होता हैं, इसके साथ ही अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

10. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रकरण के सुविधापूर्वक एवं न्यायपूर्ण विनिश्चय हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिंदु हैः—

अ.— क्या अभियुक्तगण देवा वगैरह द्वारा षड़यन्त्र पूर्वक दिनाँक 26.06.2012 को ग्राम झालसादड़ी के आराजी संख्या 169 से 191 व 131/129 में से 1/4 हिस्से की भूमि को परिवादी को विक्रय करने का इकरार निष्पादित किया गया एवं परिवादी से प्रतिफल के रूप में प्रवंचित कर रूपये 1,30,000/— प्राप्त कर लिये एवं दिनाँक 08.10.2012 को किसी समय षड़यंत्र रचते हुए परिवादी को विक्रय की गयी भूमि का छलपूर्वक स्वयं को सदोष अभिलाभ व परिवादी को सदोष हानि कारित करने के आशय से धोखाधड़ी पूर्वक बेचाननामा अन्य व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित करवा दिया?

ब.— क्या अभियुक्तगण द्वारा परिवादी से प्रतिफल के नाम पर रूपये 1,30,000/— रूपये प्राप्त कर लिये एवं परिवादी के पक्ष में रजिस्ट्री

भी नहीं करवायी एवं राशि भी नहीं लौटाकर प्राप्त राशि का आपराधिक दुर्विनियोग किया गया?

स. यदि उपर्युक्त विचारणीय बिंदु प्रमाणित होता हैं तो उचित दण्ड क्या होगा?

11. पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का विवेचन किया जाने से पूर्व संबंधित विधिक प्रावधान का अध्ययन किया जाना आवश्यक हैं। प्रकरण में अभियुक्तगण पर धारा 420, 406 व 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का आरोप है। इसलिये सर्वप्रथम धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आवश्यक संघटक के बारे में अवलोकन किया जाना आवश्यक है। **धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के आवश्यक घटक निम्न है :—**

(1). किसी व्यक्ति के साथ छल किया गया हो ;

(2). जिस व्यक्ति के साथ छल किया गया हो उसे बेईमानी से उत्प्रेरित किया गया हो कि :—

(क). वह कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या ;

(ख). किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज को, हस्ताक्षरित या मुन्द्राकिंत है और मूल्यवान प्रतिभूति में सम्परिवर्तित किये जाने योग्य है पूर्णतया या अशतः रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे।

छल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 415 में परिभाषित किया गया है जिसके आवश्यक तत्व निम्न है :—

(1). किसी व्यक्ति से प्रवंचना की गई हो ;

(2). इस प्रकार प्रवंचित व्यक्ति को कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित किया गया हो कि :—

(क). वह कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या;

(ख). यह सम्मति दे कि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को रख रखे या साआशय उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे, या करने का लोप करे जिसे वह यदि उसे इस प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो, ना करता, या करने का लोप ना

करता और जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी, साम्पत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है या कारित होनी संभाव्य है।

धारा 24 व 25 भारतीय दण्ड संहिता में क्रमशः बेईमानी व कपटपूर्वक को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार

धारा 24 "बेईमानी से" – जो कोई इस आशय से काई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे वह उस कार्य को "बेईमानी" से करता है यह कहा जाता है।

धारा 25 "कपटपूर्वक" – कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है, यह कहा जाता है, यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, किंतु अन्यथा नहीं।

12. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **2024 1 Supreme 759, Mariam Fasihuddin & Anr. Vs State by Abugodi Police Station & Anr.** के न्यायिक विनिर्णय में धोखाधड़ी के अपराध के सम्बन्ध में पद संख्या 11 व 12 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि :– **11.** It is thus paramount that in order to attract the provisions of Section 420 IPC, the prosecution has to not only prove that the accused has cheated someone but also that by doing so, he has dishonestly induced the person who is cheated to deliver property. There are, thus, three components of this offence, i.e., (i) the deception of any person, (ii) fraudulently or dishonestly inducing that person to deliver any property to any person, and (iii) mens rea or dishonest intention of the accused at the time of making the inducement. There is no gainsaid that for the offence of cheating, fraudulent and dishonest intention must exist from the inception when the promise or representation was made.

12. It is well known that every deceitful act is not unlawful, just as not every unlawful act is deceitful. Some acts may be termed both as unlawful as well as deceitful, and such acts alone will fall within

the purview of Section 420 IPC. It must also be understood that a statement of fact is deemed 'deceitful' when it is false, and is knowingly or recklessly made with the intentthat it shall be acted upon by another person, resulting in damage or loss. [P. Ramanatha Aiyar, Advanced Law Lexicon, 6th Edition, Vol.1, pg. 903] 'Cheating' therefore, generally involves a preceding deceitful act that dishonestly induces a person to deliver any property or any part of a valuable security, prompting the induced person to undertake the said act, which they would not have done but for the inducement

13. इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक विनिर्णय **2025 Live Law (SC) 950, Arshad Neyaz Khan Vs State of Jharkhand & Another** में अपराध अंतर्गत धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के सम्बन्ध में यह अभिनिर्धारित किया गया हैं कि धोखाधड़ी के अपराध के लिये प्रारम्भ से धोखाधड़ी किये जाने का आशय होना आवश्यक तत्व हैं एवं धोखाधड़ी व आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध एक साथ नहीं हो सकता हैं।

14. उपरोक्त विधिक प्रावधानों व न्यायिक विनिर्णय के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलबध साक्ष्य का विवेचन किया जाये तो प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण गवाह **परिवादी धूलीराम पी. ड. 01** हैं। जिसके द्वारा परिवाद प्रदर्श पी 07 मुख्यतः इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण श्रीमती तुलसी, श्रीमती हिरकी, श्रीमती मोहनी व श्रीमती मानकी द्वारा ग्राम जाड सादड़ी, पटवार हल्का शीशवी की आराजी संख्या 1697, 191 व 131/129 में से अपने 1/4 हिस्से को विक्रय किए जाने के संबंध में दिनांक 26.06.2012 को परिवादी के पक्ष में विक्रय अनुबंध पत्र निष्पादित किया गया, जिसमें कुल प्रतिफल राशि 3,00,000 रुपये तय की गई। जिसमें से 1,30,000 रुपये नकद भुगतान देवा को कर दिया एवं शेष 1,70,000 रुपये वक्त रजिस्ट्री देना तय हुआ। परिवादी द्वारा अभियुक्तगण को बार–बार रजिस्ट्री कराने का कहने के बावजूद भी अभियुक्तगण द्वारा किसी ना किसी बात पर टालमटोल की जाती रही एवं रजिस्ट्री नहीं करवाई गई। परिवादी को तत्पश्चात यह

जानकारी हुई कि दिनाँक 08.10.2012 को अभियुक्त श्रीमती तुलसी, श्रीमती हिरकी, श्रीमती मोहनी व श्रीमती मानकी द्वारा अन्य व्यक्ति के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करवा दिया गया, जिसमें अभियुक्त सूडा व देवा द्वारा गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए गए।

15. परिवादी द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान मुख्य परीक्षा में परिवाद प्रदर्श पी 07 में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की गई एवं प्रतिपरीक्षा में गवाह द्वारा कथन किया गया कि **सूडा साथ में घूम रहा था, बाकी सूडा ने कोई लेनदेन नहीं किया।** सूडा के साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करवाए। दोनों पक्षों की पहचान सूडा ने की थी। वह आज कोर्ट में दिनेश जी के साथ आया है। **सौदा गट्टू सिंह, राजू ने उसके सेठ जी दिनेश जी के साथ किया था।** वह सेठ जी का विश्वासपात्र होने से उक्त इकरार प्रदर्श पी 07 उसके नाम से करवाया। **प्रदर्श पी 05 गट्टूसिंह, राजू व सेठ जी दिनेश ने तैयार करवाया था। इसमें क्या लिखा–पढ़ी की गई, वह उसे पढ़कर नहीं बताया, उससे हस्ताक्षर करवाए थे। उक्त सौदे के 1,30,000 रुपये किस अभियुक्त ने प्राप्त किए, यह उसकी जानकारी में नहीं है। उसे बयान देने के लिए दिनेश जी ही समझाकर लाए थे। उसने अभियुक्तगण को रजिस्ट्री के लिए कभी कोई फोन नहीं किया। प्रकरण में जो भी संव्यवहार हुआ, वह केवल गट्टूसिंह, राजू व सेठ जी दिनेश के मध्य हुआ था।**

16. साक्ष्य अभियोजन में गवाह **ओमप्रकाश पी.डब्ल्यू 01** द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान प्रकरण के संबंध में कोई जानकारी नहीं होने के कथन किए गए।

17. साक्ष्य अभियोजन में अन्य गवाह **देवलीबाई पी.डब्ल्यू 02** व **सायरी बाई पी.डब्ल्यू 03** द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान दोनो द्वारा देवा व उसकी बहन तुलसी, मोहनी, मानकी से उनके हिस्से की जमीन 90,000 रुपये में खरीदा जाना और उसकी उनके पक्ष में रजिस्ट्री करवाए जाने के कथन किए गए। इस तथ्य की जानकारी से इंकार किया गया कि देवा व उसकी बहनों ने जो रजिस्ट्री उनके नाम करवाई थी, उसकी विक्रय पत्र की जमीन को किसी और को बेचने का इकरार कर रखा हो।

18. साक्ष्य अभियोजन के दौरान गवाह स्टाम्प विक्रेता **अजय पी.डब्ल्यू–4** द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान प्रकरण में प्रदर्श पी 05 स्टाम्प जारी किए जाने

के कथन किए गए एवं स्टाम्प पर लिखा–पढ़ी उसके द्वारा नहीं किये जाने एवं केस की घटना की कोई जानकारी होने से इंकार किया गया।

19. साक्ष्य अभियोजन में गवाह **राजू पी.डब्ल्यू 05** व **गट्टूसिंह पी.डब्ल्यू 06** द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान कथन किया गया कि देवाराम, धूलाराम व देवा व उनके संयुक्त खातेदारों के बीच में जमीन को लेकर विक्रय इकरार की लिखा–पढ़ी हुई थी, **जिस समय धूलीराम ने देवा के हाथ में 1,30,000 रुपये नकद दिए थे तथा शेष राशि रजिस्ट्री के समय देना तय हुआ था। देवा व उनके संयुक्त खातेदार मानकी, हिरकी, तुलसी, सूडा, मोहनी, ये धूलीराम को रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार थे, किंतु धूलाराम रजिस्ट्री नहीं करवा रहे थे। देवा व संयुक्त खातेदारों को धूलीराम पैसे देने के लिए भी तैयार नहीं था।** उक्त दोनों गवाहान् की साक्ष्य से अभियुक्तगण धूलीराम के पक्ष में रजिस्ट्री करवाने को तैयार थे लेकिन धूलीराम नहीं करवा रहा था।

20. साक्ष्य अभियोजन के दौरान अन्य गवाह **दिनेश पी.डब्ल्यू 07** द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान मुख्य परीक्षा में अभियोजन के अनुसार कथन किये गये। प्रतिप्ररीक्षा में कथन किया गया कि सूडा एग्रीमेंट का गवाह था। सूडा सौदा और रजिस्ट्री दोनों में साथ में था। प्रदर्श पी 05 पर सूडा के गवाह के रूप में हस्ताक्षर नहीं हैं। **पैसे देवा ने लिए, सूडा ने पैसे नहीं लिए,** प्रदर्श पी–5 जब निष्पादित हुआ तब वह मौके पर ही था। प्रदर्श पी 05 की पालना में रजिस्ट्री कराने की कोई समय–सीमा लिखित में तय नहीं हुई थी। प्रदर्श पी 05 की अनुपालना के संबंध में धूलीराम ने अभियुक्तगण को नोटिस दिया हो, तो उसकी जानकारी नहीं हैं। धूलीराम ने उसे बताया कि फोन किये थे। **धूलीराम को राजू व गट्टूसिंह से उसने ही मिलवाया था।** धूलीराम द्वारा रजिस्ट्री करवाने से कभी मना नहीं किया गया। सिविल कार्रवाई से संबंध में प्रदर्श पी 05 की पालना के संबंध में सिविल कार्यवाही धूलाराम ने की थी, जिसकी उसे जानकारी है। धूलाराम उसके मिलने वाले के होटल पर काम करता था।

21. प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी **रामसिंह पी.डब्ल्यू 08** द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान मुख्य परीक्षा में अनुसंधान के संबंध में सामान्य कथन किए गए एवं प्रतिपरीक्षा के दौरान कथन किए गए कि **अभियुक्त सूडा द्वारा गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए थे।** सूडा पैसे लेने में शामिल था। समस्त

अभियुक्तगण अनपढ़ होकर अंगूठा लगाते हैं। **जो सौदा हुआ था, वह भग्गा सिंह व राजू के माध्यम से हुआ था।** प्रार्थी धूलीराम जो दिनेश के साथ काम करता है। अनुसंधान में यह तथ्य प्रकट नहीं हुआ कि धूलीराम द्वारा एग्रीमेंट प्रदर्श पी 05 की अनुपालना के संबंध में अभियुक्तगण को कोई नोटिस दिया हो।

22. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का समग्र रूप से विवेचन किया जाए, तो यह प्रकट होता है कि परिवाद के अनुसार अभियुक्त तुलसी, हिरकी, मोहनी व मानकी द्वारा परिवादी के पक्ष में प्रदर्श पी 05, दिनाँक 26.06.2012 को विवादग्रस्त आराजी के विक्रय किए जाने के संबंध में निष्पादित किया गया। विवादग्रस्त आराजी की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी प्रदर्श पी 12 के अनुसार अभियुक्त तुलसी, मानकी, हिरकी, मोहनी का विक्रय की गयी भूमि में हिस्सा होना प्रकट होता हैं। इस संबंध में प्रदर्श पी 05 का अवलोकन किया जाए, तो प्रदर्श पी 5 विक्रय इकरार अभियुक्त श्रीमती तुलसी, श्रीमती हीरकी, मोहनी व मानकी द्वारा परिवादी धूलीराम के पक्ष में 3,00,000 रुपये के प्रतिफल मे निष्पादित गया लेकिन न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान परिवादी धूलीराम द्वारा यह कथन किया गया कि वास्तविक सौदा राजू, गट्टूसिंह व दिनेश जी के मध्य हुआ था। उसने प्रदर्श पी 05 को नहीं पढ़ा एवं उसे नहीं पता कि इसमें क्या लिखा हुआ हैं। परिवादी द्वारा प्रतिफल राशि का भुगतान किस अभियुक्त को किया गया, उसकी जानकारी होने से ही इंकार किया गया एवं अभियुक्तगण को प्रदर्श पी 05 की पालना के सम्बन्ध में कभी भी सम्पर्क नहीं करना कथन किया गया। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह प्रकट होता है कि वास्तविकता में प्रदर्श पी 05 में वर्णित संव्यवहार परिवादी धूलीराम द्वारा नहीं किया गया बल्कि धूलीराम के पक्ष में दृश्यमान क्रेता के रूप में प्रदर्श पी 05 निष्पादित करवाया गया।

23. प्रकरण में यह महत्वपूर्ण है कि दिनाँक 26.06.2012 को परिवाद के अनुसार प्रदर्श पी 05 अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के पक्ष में निष्पादित किया गया तथा दिनाँक 08.10.2012 को अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को विक्रय की गई भूमि का पंजीकृत विक्रय पत्र प्रदर्श पी 02 प्रकरण के गवाह श्रीमती देवली पी.ड. 02 व श्रीमती सायरी पी.ड. 03 के पक्ष में निष्पादित करवा दिया गया।

स्वयं परिवादी की ओर से यह स्पष्ट अभिकथन नहीं किए गए कि उसे अन्य व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र प्रदर्श पी 02 के निष्पादित होने की जानकारी कब व किस माध्यम से हुईं। क्योंकि उक्त संव्यवहार दिनाँक 26.06.2012 का हैं, लेकिन हस्तगत प्रदर्श पी 05 निष्पादित होने से लगभग तीन वर्ष पश्चात दिनाँक 04.05.2015 को प्रस्तुत किया गया। परिवाद इतने विलम्ब से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में परिवाद में कोई अभिवचन नहीं किये गये एवं ना ही साक्ष्य के दौरान् कथन किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान् की साक्ष्य से गवाह राजू पी.ड. 05 व गट्टूसिंह पी.ड. 06 महत्वपूर्ण गवाह हैं, जिनके समक्ष परिवादी प्रदर्श पी 07 में वर्णित सौदा हुआ था, उक्त दोनों गवाहान् द्वारा साक्ष्य के दौरान् कथन किया गया कि अभियुक्तगण धूलीराम के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित करवाने चाहते थे लेकिन धूलीराम ही रजिस्ट्री नहीं करवा रहा था, गवाहान् द्वारा यह भी कथन किया गया कि धूलीराम रूपये देने के लिये तैयार नहीं था। प्रथमतया स्वयं परिवादी द्वारा परिवाद प्रदर्श पी 07 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया गया एवं अन्य साक्ष्य से अभियुक्तगण विक्रय इकरार प्रदर्श पी 05 की पालना के लिये तैयार थे लेकिन परिवादी धूलीराम ही पालना के लिये तैयार नहीं था। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं हैं कि अभियुक्तगण का प्रदर्श पी 05 निष्पादित किये जाने से ही परिवादी के साथ धोखाधड़ी करने का आशय रहा हो। अभियोजन की ओर से परीक्षित मात्र गवाह दिनेश पी.ड. 07 द्वारा साक्ष्य के दौरान् कथन किया गया कि परिवादी धूलीराम को राजू व गट्टूसिंह से उसने ही मिलवाया था एवं परिवादी द्वारा प्रदर्श पी 05 की पालना के सम्बन्ध में अभियुक्तगण को फोन किये थे, जबकि परिवादी धूलीराम द्वारा साक्ष्य के दौरान् किसी भी अभियुक्तगण को फोन करने से इंकार किया गया। अधिवक्ता अभियुक्तगण का बहस के दौरान् तर्क रहा कि दिनेश पी.ड. 07 द्वारा ही सौदा किया गया था, परिवादी का प्रकरण के संव्यवहार से कोई लेना देना नहीं था। इसकी सम्पुष्टि परिवादी धूलीराम की साक्ष्य से होती हैं। अभियुक्तगण का परिवादी के साथ प्रारंभ से ही छल व धोखाधड़ी करने का आशय रहा होता तो परिवादी की और से इतने विलम्ब के साथ परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता। साक्ष्य से मूल रूप से विवाद प्रदर्श पी 05 के विनिर्दिष्ट पालना के सम्बन्ध में था, जिसके सम्बन्ध में हस्तगत

परिवाद प्रस्तुत किया गया। अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के आवश्यक संघटक को प्रमाणित नहीं हैं।

24. अभियुक्तगण पर धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप हैं। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने **(2002) 1 एससीसी 241 एस.डब्ल्यू. पालनिटकर बनाम बिहार राज्य** के मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि प्रत्येक न्यासभंग का परिणाम आपराधिक न्यास भंग नहीं होता है। जब तक कि इसमें कपटपूर्ण दुर्विनियोग के मानसिक कृत्य का तत्व शामिल नहीं हो। यदि न्यास भंग में ''मैंस रिआ'' का आवश्यक तत्व शामिल हो, तो ही इस हेतु दांडिक अभियोजन की कार्यवाही की जा सकेगी। आपराधिक न्यास भंग हेतु निम्न तथ्यों का समावेश होना चाहिएः–

1. किसी व्यक्ति को कोई सम्पत्ति का प्राधिकार न्यस्त करना।
2. ऐसे न्यस्त किये गये व्यक्ति द्वारा
3. बेईमानीपूर्वक सम्पत्ति का दुर्विनियोग कर लिया हो या सम्पत्ति को अपने निजी उपयोग में लिया हो।
4. बेईमानीपूर्वक ऐसी सम्पत्ति को प्रयुक्त कर रहा हो या इसका व्ययन कर रहा हो या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा ऐसा किया जाना सहन कर रहा हो व ऐसा कृत्य
5. किसी न्यस्त करने की विधि के निर्देश की उल्लघंना स्वरूप या
6. न्यस्त करने के किसी वैध अनुबंध की शर्तों के विपरीत कर रहा हो।

25. उपरोक्त विधिक प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया जाए तो प्रकरण में प्रार्थी धूलीराम पी.ड. 01 द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रदर्श पी 07 के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा प्रदर्श पी 05 विक्रय इकरार की एवज में प्राप्त प्रतिफल राशि 1,30,000/– रूपये नहीं लौटायी गयी लेकिन इस सम्बन्ध में साक्ष्य का अवलोकन किया जावें तो स्वयं परिवादी द्वारा सौदे के रूपये किस अभियुक्त द्वारा प्राप्त किये गये, इसकी जानकारी होने से ही इंकार किया गया। सामान्य प्रज्ञावान कोई भी व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति को इतनी बड़ी राशि अदा करता हैं तो यह संभव नहीं कि उसे पता नहीं हो कि रूपये किस व्यक्ति को अदा किये गये। इसके अतिरिक्त प्रकरण के संव्यवहार के मुख्य गवाह राजू पी.ड. 05 व गट्टूसिंह पी.ड. 06 द्वारा कथन किया गया

कि परिवादी स्वयं प्रदर्श पी 05 की पालना में रूपये नहीं दे रहा था, अभियुक्तगण रजिस्ट्री करवाने का तैयार थे। अभियेाजन की ओर से परीक्षित अन्य किसी भी गवाह ने धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के संबंध में कोई कथन नहीं किये गये। अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के आवश्यक तत्व प्रमाणित नहीं हैं।

26. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Criminal Appeal No. 834/2017, The Commissioner of Police & Ors. Vs Devender Anand & Ors. Order Dated 08.08.2019** के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया कि सिविल विवादो को निपटाने के लिये आपराधिक कार्यवाही किया जाना, न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग हैं।

27. इस प्रकार पत्रावली पर अभियोजन की ओर से ऐसी किसी प्रकार की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी कि अभियुक्तगण द्वारा षड़यन्त्र पूर्वक परिवादी के साथ बेईमानीपूर्वक आशय से प्रवंचित कर राशि प्राप्त करने के लिए छल किया गया हो। ऐसी स्थिति में अभियोजन की कहानी संदेहास्पद होकर विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती हैं। अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के आवश्यक संघटक प्रमाणित नहीं हैं।

28. अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अभियोजन का मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता। जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में **अभियुक्तगण देवा, सूडा, श्रीमती तुलसी, श्रीमती हीरकी, श्रीमती मोहनी व श्रीमती मानकी** को अपराध अन्तर्गत **धारा 420, 406 व 120 बी** भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता हैं।

।। आदेश।।

29. अतः अभियुक्त संख्या **01. देवा** पिता भग्गाजी, उम्र 75 वर्ष, निवासी जोगेला राबचा, पीएस नाथद्वारा, जिला राजसमन्द, अभियुक्त संख्या **02. सुडा** पिता नारूजी, उम्र 65 वर्ष, निवासी मजेरा, थाना देलवाड़ा, जिला राजसमन्द, अभियुक्त संख्या **03. श्रीमती तुलसी** पत्नी विरमा, उम्र 45 वर्ष, निवासी

कालीवास हाल दाड़मी थाना देलवाड़ा, जिला राजसमन्द, अभियुक्त संख्या **04. श्रीमती हीरकी** पत्नी जगन्नाथ, उम्र 65 वर्ष, निवासी सिंधु, थाना घासा, जिला राजसमन्द, अभियुक्त संख्या **05. श्रीमती मोहनी** पत्नी सुडा, उम्र 60 वर्ष, निवासी मजेरा, थाना देलवाड़ा जिला राजसमन्द व अभियुक्त संख्या **06. श्रीमती मानकी** पत्नी देवा, उम्र 58 वर्ष, निवासी राबचा जोगेला, थाना नाथद्वारा, जिला राजसमन्द को अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 120—बी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में दोषमुक्त घोषित किये जाते है।

29.1 अभियुक्तगण के नियमित उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

29.2 अपील होने की सूरत में धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, के तहत अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति हेतु 15,000/— रूपये का मुचलका व इतनी ही राशि की जमानत के दस्तावेज अभियुक्तगण देवा, मानकी, तुलसी, सूडा व मोहनी द्वारा दिनाँक 12.03.2026 को एवं अभियुक्त हीरकी द्वारा दिनाँक 18.03.2026 को पेश कर तस्दीक कराये जा चुके हैं।

29.3 निर्णय की एक प्रति अविलंब ई—कोर्ट वेबसाईट पर अपलोड की जावे।

(सुनिल कच्छावाह)
अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नाथद्वारा, राजसमन्द।

30. निर्णय व आदेश आज दिनाँक 27.03.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनिल कच्छावाह)
अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नाथद्वारा, राजसमन्द।